

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज०)

प्रकरण सं० 68/2021

तारीख दायर :-06.10.2021

दिनांक निर्णय :-27.10.2021

निर्णय

पटवारी हल्का नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2021
116

बनाम

बृजमोहन पुत्र मुंशी जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नयागाव बोलका द्वारा राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि गैरसायल बृजमोहन पुत्र मुंशी जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा ग्राम नयागाव बोलका के आ०ख०न० 8 रकबा 0.80 हे० में से 0.50 हे० किस्म चारागाह बरानी-3 भूमि पर सम्वत् 2078 के फसल खुरीफ में जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है ।

प्रकरण राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जर्ये सम्मन तलब किया गया । गैरसायल की ओर से नियत तारीख पेशी पर बृजमोहन पुत्र मुंशी जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर उपस्थित आया जिसको जवाब हेतु समय चाहे जाने समय दिया गया । इसके बावजूद भी गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये । गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा राशि 100/- रूपये शास्ति आरोपित की जाती है । तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा को राजस्व लेखों में मांग कायमी एवं गिरदावर थानाराजाजी/पटवारी हल्का नयागाव बोलका को वसूली व बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर बाद तकलीम लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेंरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष...2021-22
के पृष्ठ संख्या...23 पर...रा. ले. स. 100/-
राशि कायम किये गये ।

त. रा. लेखाकार